



## अलवर राज्य में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक स्थिति

### लेखक

डॉ. संतोष गुप्ता

एसोसिएट प्रोफेसर

एम. एस. जे. राजकीय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, भरतपुर (राजस्थान)

अशोक कुमार मीणा

शोधार्थी

इतिहास एवं भारतीय संस्कृति  
विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

अलवर रियासत का सामाजिक जीवन और यहाँ की सामाजिक संस्थाएं, परिवार, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था राजपूताना के अन्य राज्यों की भाँति ही रहे हैं। किन्तु यह राज्य राजपूताना के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित होने से दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश के अधिक निकट हैं। फलतः यहाँ के निवासियों के जनजीवन पर इन राज्यों का काफी प्रभाव रहा है। अलवर राज्य में हिन्दुओं का बाहुल्य होने के बावजूद मेव, खानजादा, आदि की उपस्थिति ने यहाँ के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। एक मिश्रित संस्कृति का पल्लवन देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में बसने वाली जातियों के मिश्रित स्वभाव के संदर्भ में एक बहुप्रचलित दोहा है :-

पूरो हिन्दु जाट ना, मुसलमान ना मेव,

इन दोनों में मिले है, बहुत पुरानी टेव।।

### परम्परागत सामाजिक संरचना

अलवर राज्य मुगलकाल के उत्तरार्द्ध से ही सामाजिक संरचना में अपना अस्तित्व बनाए हुई थी। मध्यकालीन परम्परागत सामन्ती व्यवस्था पर ही सामाजिक संगठन निर्भर थे। सामाजिक संगठन में प्रत्येक जाति की श्रेष्ठता उस जाति की वंशोत्पत्ति तथा उसके द्वारा



स्वीकार किये जाने वाले व्यवसाय पर निर्भर थी। सामाजिक संगठन के अनुशासन को बनाए रखना प्रत्येक जाति का कर्तव्य माना जाता था। इस कर्तव्य का पालन करवाने का दायित्व सम्बन्धित जाति-पंचायतों का था, जिन्हें अपने कर्तव्य पालन में राज्य का संरक्षण प्राप्त था। अलवर के राजपूत शासकों ने सामाजिक ढाँचें को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरणार्थ, वंशानुगत दास-दासियों पर उनके राजपूत स्वामियों के अधिकार को न्यायिक मान्यता प्रदान की गई थी।<sup>(1)</sup> भूमि कर वसूली के मामले में भी राज्य ने ब्राह्मण, राजपूत एवं महाजन इत्यादि जातियों की परम्परागत सुविधाओं को कायम रखा। इन सबके परिणामस्वरूप ही जाति-प्रथा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचना का अस्तित्व बना।

19वीं सदी में अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत राज्यों के आपसी युद्ध की सम्भावनाएँ कम होने तथा सुरक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में होने कारण राजपूत शासक विलासिता की ओर अग्रसर होने लगे थे। आमोद-प्रमोद, शिकार और महफिलें उनके जीवन का प्रमुख अंग बन गयी। अलवर राज्य के प्रबुद्ध शासकों ने सामाजिक संरचना में विभिन्न सुधार कार्यों की ओर ध्यान दिया। इस समय सती व त्याग जैसी घृणित प्रथा तथा बाल-विवाह के विरोध में नियम बनाये गये। इन नियमों को क्रियान्वित करने में अंग्रेज अधिकारियों ने भी विशेष रूचि दिखाई। यद्यपि इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, तथापि कालान्तर में सुधार का मार्ग अवश्य प्रशस्त हुआ। इस सदी में समाज की दिशाएँ बाह्य प्रभावों से प्रभावित अवश्य हुई हैं, किन्तु सामाजिक जीवन की दिशाओं में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया। सामाजिक संरचना सामन्तशाही प्रथा पर ही आधारित रही।<sup>(2)</sup>

भारत देश के अन्य भागों की भांति अलवर राज्य में भी ग्रामीण समाज कई जातियों में विभाजित था, और हर एक जाति आर्थिक इकाई के रूप में काम करती थी। इस तरह के विभाजन में एक सुनियोजित श्रम विभाजन निहित था। जातीय वर्णभेद का ढाँचा एक पिरामिड के समान था जिसमें सबसे उच्चतम वर्ण ब्राह्मण से लेकर निम्नतम वर्ण चमार भी था। आर्थिक



रूप से यही कहा जा सकता है कि कुछ वर्ग बहुत सम्पन्न थे तो कुछ बिल्कुल विपन्न थे। जातीय व्यवसायों के रूप में भी आर्थिक असमानता थी। लेकिन इस व्यवस्था की एक अच्छी बात यह थी कि इसमें छोटी-से-छोटी जाति के लोगों को भी कोई न कोई काम अपनी आजीविका के लिए मिला हुआ था।<sup>(3)</sup>

मेव, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य चौहान, कछवाह, मीणा, यादव, अहीर, खानजादा, शेखावत, नाई, कुम्हार, रंगरेज, सुनार, लुहार, बढई, कसाई, धोबी, तेली, चमार आदि प्रमुख जातियाँ यहाँ निवास करती थी।

भारत देश के परम्परागत सामाजिक ढाँचे की तरह ही अलवर रियासत में भी समाज के स्वरूप का वही निरूपण परम्परागत रूप से चला आ रहा है जिसे वर्ण-व्यवस्था कहते हैं। इसी वर्ण व्यवस्था की भित्ति पर हिन्दू समाज का भवन खड़ा है, जो प्राचीन काल से अनन्त बाधाओं का सामना करते हुए भी अब तक न टूट सका है।

सामाजिक विभाजन के रूप में वैदिक युग से आज तक उत्तर से दक्षिण तक निरन्तर प्रवाहमान है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय समाज का चार वर्णों में विभाजन किया गया।<sup>(4)</sup> इसका प्रधान आधार रंगभेद या प्रजातीय धारणा थी। साथ ही इसके आधार गुण एवं कर्म भी रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में दो प्रधान तत्व निहित हैं, एक तो भेदपरक ऊँच-नीच की भावना और दूसरा सभी वर्णों के लिए निर्धारित कर्म। चारों वर्णों के अपने-अपने कर्म वैज्ञानिक और सुविचारित आधार पर निर्धारित किये गए हैं। इन्हीं दो तत्वों को लेकर वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बना है। वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से सामाजिक कर्तव्यों के विभाजन द्वारा तक व्यवस्थित समाज स्थापित करने की योजना थी।

अलवर राज्य में वर्ण धर्म अथवा वर्ण कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यष्टि और समष्टि दोनों का उत्कर्ष होता है। इससे समाज में शान्ति, सहयोग और स्पर्धाहीन वातावरण का निर्माण होता है, तथा प्रत्येक वर्ण सामाजिक अभिवृद्धि के मार्ग पर निर्द्वन्द अग्रसर होता है।



फलतः मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सम्भव है। वह वर्ण धर्म के आधार पर परिवार, समुदाय, समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का सशक्त निर्वाह करता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, दान आदि विभिन्न गुणों का समावेश रहता है।

वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था कर्मों (कार्य चयन) पर आधारित थी।<sup>(5)</sup> उत्तर वैदिक काल के परवर्ती युग के आते-आते वर्ण व्यवस्था का लचीलापन समाप्त हो गया और यह जन्म पर आधारित हो गई।

### त्यौहार एवं मेले

अलवर में बारहों महिने त्यौहार मनाये जाते हैं। इन त्यौहारों की परम्परा से संस्कृति संरक्षण, सामाजिक सद्भाव के मूल्यों की रक्षा साथ ही मनोरंजन के माध्यम भी हैं। चैत्र मास में गणगौर, बासेड़ा (शीतलाष्टमी), नवरात्रा, रामनवमी, वैशाख में बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ निर्जला एकादशी, आषाढ में गुरु पूर्णिमा, श्रावण में नाग पंचमी, तीज व रक्षा बंधन, भाद्रपद में जन्माष्टमी, बछ्छ बारस, गणेश चतुर्थी, जलझुलनी ग्यारस, आश्विन में श्राद्ध महानवमी, विजयादशमी, कार्तिक में करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देव उठनी ग्यारस, इदुलजुहा एवं फाल्गुन में महाशिवरात्रि, फूलेरा दूज, मुहर्रम, होली व धूलण्डी इत्यादि त्यौहार मुख्य रूप से मनाये जाते हैं।<sup>(6)</sup>

अलवर रियासत में मेल भरने का भी विशेष चलन रहा है। यहाँ लगभग 225 मेले विभिन्न क्षेत्रों में लगते हैं। मेले ऐसे आयोजन होते हैं जो किसी एक स्थान विशेष पर या एक साथ कुछ स्थानों पर किसी एक विशेष सम्प्रदाय या सम्मिलित रूप से एक से अधिक सम्प्रदायों द्वारा मनाए जाते हैं।



## तालिका संख्या 2.1: अलवर के प्रमुख मेले

क्र. सं.	मेले का नाम	स्थान	तिथि/दिनांक
1.	चूहड़सिद्ध	डहरा (शाहपुरा के पास)	शिव रात्रि (फरवरी माह) में मेव संत चूहड़सिद्ध के सम्मान में आयोजित होता है।
2.	भर्तृहरि	भर्तृहरि	भादवा शुक्ला अष्टमी (अगस्त सितम्बर)
3.	जगन्नाथ जी	रूपवास	आषाढ नवमी में एकादशी (जुलाई)
4.	पाण्डूपोल हनुमान जी	पाण्डूपोल	भादवा शुक्ला चतुर्थी व पंचमी (अगस्त/सितम्बर)
5.	बाबा गिरधारीदास	कल्याण सागर (बानसूर)	चैत्र शुक्ला द्वादशी
6.	किलेवाले हनुमान जी	हाजीपुर	चैत्र शुक्ल त्रयोदशी
7.	बिलाली माता	बानसूर	चैत्र कृष्णा अष्टमी
8.	जगन्नाथ जी	गंगाबाग (राजगढ़)	आषाढ शुक्ला द्वितीया में अष्टमी (जुलाई)
9.	लालदास जी	शेरपुर (रामगढ़)	आषाढ पूर्णिमा (जून-अप्रैल)
10.	शीतलामाता	दहमी	आश्विन कृष्णा सप्तमी, चैत्र कृष्णा सप्तमी
11.	धोलागढ़ देवी	बहतूकला	वैशाख कृष्ण पंचमी से दशमी
12.	गणगौर	कठूमर	चैत्र शुक्ला तृतीया से चतुर्थी
13.	चन्द्रप्रभु	तिजारा	मार्च में
14.	बाबा पुरुषोत्तम दास	नारायणपुर	रामनवमी
15.	बाबा शीतलदास	रैणागिरी मंदिर (मुण्डावर)	फाल्गुन कृष्णा पंचमी
16.	बाबा गरीबनाथ	सामदा	चैत्र कृष्णा पंचमी
17.	करणी माता	बालाकिले पर (अलवर)	नवरात्रा के समय
18.	शीतलामाता (शीतलाष्टमी)	सीलीसेढ	मार्च
19.	नारायणी माता	नारायणी (थानागाजी)	अप्रैल
20.	गुरुनानक जंयती	अलवर	नवम्बर
21.	महावीर जंयती	अलवर/तिजारा	मार्च/अप्रैल
22.	मोहरम	अलवर	अगस्त
23.	तीज	अलवर	भाद्रपद (अगस्त/सितम्बर)
24.	चरणदास	डहरा (अलवर)	भाद्रपद (अगस्त/सितम्बर)
25.	शीतलामाता	ईसराकाबास	चैत्र कृष्णा नवमी
26.	टोडामाता	मोरोडी	चैत्र कृष्णा अष्टमी
27.	शीतलामाता	बबेड़ी	चैत्र कृष्णा नवमी
28.	प्रेमदास	रामपुर	मई माह
29.	गोपालदास	पेहल	रामनवमी
30.	छारंडी	जाट बहरोड	होली के दूसरे दिन
31.	गणगौर	तसींग	चैत्र शुक्ला तृतीया

अलवर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले समस्त भू-प्रबन्ध, खालसा क्षेत्र के बिश्वेदारों के साथ किये गये थे और खातेदार लगान वितरण का कार्य भी उन्हीं के हाथों सौंप दिया



गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बिश्वेदारों ने अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न तरीकों अपनाये और अधिकांश में विभिन्न श्रेणी की भूमि के लिए लगान की केवल एक ही दर निश्चित कर दी। इस तरह से उहरी, बारानी हर किस्म का पड़ता वसूली बिश्वेदार एकसा फांट (वितरण) करके जमा कराते थे। जिससे भू-प्रबन्ध के भूमि वर्गीकरण की चिकनोट, मटियार और भूड़ की पृथक-पृथक दरें प्रभावहीन हो जाती थी। इसके अतिरिक्त बिश्वेदार, कृषकों से अपनी इच्छानुसार जिन्स व नकदी में लगान लेते थे।

बिश्वेदार या जमींदार गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। वे श्रेष्ठ भूमि अपने पास काश्त के लिए रखते थे और निम्न श्रेणी की भूमि अपने काश्तकारों को खेती के लिए देते थे। वे व्यावहारिक रूप से जमा का वितरण अपनी इच्छा से करने के लिए निम्न श्रेणी की भूमि के काश्तकारों पर लगान का अधिक भार डाल देते थे। इस प्रकार आम कृषकों पर करों का बोझ अधिक होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती थी।

अलवर राज्य में कृषक जनता गरीबी का जीवन व्यतीत करती थी। आर्थिक स्थिति के अनुसार तीन श्रेणियां थी। साधन सम्पन्न, मध्यम वर्गीय तथा गरीब वर्ग इन व्यक्तियों का अनुपात एक साधन सम्पन्न व्यक्ति पर 4 मध्यम वर्गीय तथा 15 से 25 तक गरीब लोग आंके गये। प्रथम श्रेणी के लिए सूखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे जिनको घी, दूध, मक्खन, राबड़ी, चीनी और आटा पर्याप्त मात्रा में मिलता था। द्वितीय श्रेणी को राबड़ी तो प्राप्त होती थी लेकिन घी-दूध कम मिलता था। चीनी या गुड़ मिलता ही नहीं था व मोटा अनाज खाते थे। तीसरा श्रेणी के लोग मोटे अनाज पर गूजर करते थे और उनकी बाकी आय महाजन को कर्ज चुकाने में खर्च हो जाती थी।



## संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 नागौरी, एस.एल., *अलवर राज्य का इतिहास*, पृ. 5
- 2 व्यास, रामप्रसाद, *आधुनिक राजस्थान का वृहद् इतिहास* पृ. 386
- 3 गहलोत, जगदीश सिंह, *कछवाहों का इतिहास*, पृ. 289
- 4 पाउलेट, पी.डब्ल्यू., *गजेटियर ऑफ अलवर* (अनु. अनिल जोशी)पृ. 33
- 5 वही, पृ. 36
- 6 वही, पृ. 35
- 7 ओडायर, एम.एफ., *फाइनल रिपोर्ट अलवर स्टेट सैटिलमेंट (1900-01)*, पृ. 29
- 8 विनय पत्रिका, *अलवर अंक (1969)* पृ. 228
- 9 वही, पृ. 229
- 10 जोशी, अनिल, *अलवर दर्शन*, पृ. 117
- 11 जोशी, अनिल, *अलवर क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति मांचेड़ी से भिवाड़ी*, पृ.3
- 12 विनय पत्रिका, *अलवर अंक (1969)* पृ. 229
- 13 मायाराम, *राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अलवर*, पृ. 220
- 14 श्यामलदास, *वीर विनोद भाग-द्वितीय, जिल्द-2* पृ. 1360
- 15 वही, पृ. 230, 231
- 16 पाउलेट, पी.डब्ल्यू., *गजेटियर ऑफ अलवर* (अनु. अनिल जोशी)पृ. 87
- 17 वही, पृ. 89
- 18 वही, पृ. 87, 88
- 19 मेव, सिद्धिक अहमद, *मेवाती संस्कृति*, पृ. 29
- 20 जोशी, अनिल, *अलवर दर्शन*, पृ. 117